15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक :–प.16(20)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2019 दिनांक : 16 DEC 2019

कार्यालय आदेश

निदेशालय ,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं के आदेश क्रमांक राज ई–ऑफिस / आई टी सैल / 2019 / 610–619 दिनांक 25 / 11 / 2019 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों (अध्ययनरत / पदस्थापित / प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत) की एनओसी से संबंधित सभी प्रकार की एप्लीकेशन राजकाज सॉफटवेयर के माध्यम से ऑनलाइन ही जारी की जानी है। इस हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मेडिकल कॉलेज / संम्बध चिकित्सालय / आरयूएचएस में पदस्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिकित्सकों (अध्ययनरत / पदस्थापित / प्रतिनियुक्ति / आवश्यक–अस्थाई आधार पर) की एसएसओ आई डी पर एनओसी के लिए Hierarchy निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक जो कि मेडिकल कॉलेज से सम्बद्व अस्पतालों में कार्यरत है:–
   आवेदक (चिकित्सक) –> अधीक्षक –> प्राचार्य एवं नियंत्रक –> चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक जो कि मेडिकल कॉलेज में आवश्यक–अस्थाई आधार पर कार्यरत है:–
   आवेदक (चिकित्सक) –> विभागाध्यक्ष –> प्राचार्य एवं नियंत्रक –> चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

उपरोक्तानुसार NOC application के लिए निर्धारित की गयी Hierarchy स्वंय आवेदक (चिकित्सक) द्वारा अथवा मेडिकल कॉलेज / संबद्व अस्पताल / आरयूएचएस की संस्थापन शाखा द्वारा आवेदक की SSO ID पर संबधित एसीपी (उपनिदेशक) / आई.टी. कर्मी के सहयोग से राज–काज सॉफ्टवेयर पर configure करायी जाकर उक्तानुसार एनओसी का कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:– निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, का आदेश क्रमांक: राज़ ई–ऑफिस / आई.टी. सैल / 2019 / 610–619 दिनांक 25 / 11 / 2019

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर को उनके आदेश क्रमांकः राज़ ई–ऑफिस/आई.टी.सैल/2019/610–619 दिनांक 25/11/2019 के कम में
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. कुलसचिव, आरयूएचएस।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अजमेर।
7. समस्त अधीक्षक, संबद्व राजकीय चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज।
8. समस्त एसीपी (उपनिदेशक) राजकीय मेडिकल कॉलेज/आई.टी. कर्मी संबधित चिकित्सालय/आरयूएचएस।

16.12.19

(अनुराग हरित)

अनुभागाधिकारी